

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/50/2018

प्रवेश तिथि
11-05-2018

निर्णय दिनांक
03-07-2019

01- बाबूलाल पुत्र श्री भौरैलाल जाति मीना निवासी ग्राम नैथला तह० मालाखेड़ा जिला अलवर।
-अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार, मालाखेड़ा जिला अलवर

-रेस्पॉण्डेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार मालाखेड़ा
दिनांक 23.01.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू०
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 37/2016

उपस्थित:-

01-श्री गोविन्दराम यादव

-वकील अपीलान्ट

-निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मालाखेड़ा के आदेश दिनांक 23.01.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम नैथला के सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 है० में से 0.40 है० पर अवैध कब्जा करने पर की गई पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पॉ० को जर्ज सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम नैथला के सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 851 रकबा 0.40 है० में से 0.40 है० पर अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 09.11.2016 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने लगान से दण्डित किया। उक्त आराजी से संबंधित दुरुस्ती का दावा अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के यहां विचाराधीन है। अतः अपीलार्थी को पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि उक्त आराजी से संबंधित प्रकरण अदालत सहायक जिलाधीश अलवर के यहां विचाराधीन है। जिसमें अपीलान्ट के अधिकारों का विनिश्चय किया जाना है। तब तक न्यायालय हाजा उक्त प्रकरण में किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं समझता है। अदालत सहायक जिलाधीश अलवर में विचाराधीन प्रकरण में निर्णयानुसार तहसीलदार मालाखेड़ा प्रकरण में कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर न्यायालय में कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



03/07/19
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)